



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मध्यमा परीक्षा, 2017 के प्रमाण पत्रों में त्रुटि के निराकरण एवं प्रमाण पत्रों के वितरण के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 44/2017

एतद् द्वारा मध्यमा परीक्षा, 2017 से सभी संबंधित छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालयों के प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि:-

- * मध्यमा परीक्षा, 2017 में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, आब्रजन प्रमाण पत्र एवं क्रॉस लिस्ट परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से दिनांक 31.07.2017 से वितरित किए जायेंगे। संबंधित संस्कृत विद्यालय के प्रधानों से अनुरोध है कि वे स्वयं या अधिकृत दूत के माध्यम से ससमय उक्त सामग्री निर्धारित स्थानों से प्राप्त कर छात्र/छात्राओं को वितरित करना सुनिश्चित करेंगे।
- * मध्यमा परीक्षा, 2017 के जिन छात्र/छात्राओं के प्रवेश पत्र, अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, आब्रजन प्रमाण पत्र में नाम, माता/पिता का नाम, जन्म तिथि, पंजीयन संख्या आदि में त्रुटि हो तो ऐसे छात्र/छात्रा सूचीकरण स्लिप के आधार पर अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्रक की छायाप्रति के साथ) दिनांक 30.08.2017 तक संबंधित विद्यालय में जमा करेंगे। संबंधित विद्यालय प्रधान सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में दिनांक 07.09.2017 तक अवश्य ही जमा करेंगे।
- * इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क रु. 400/- (चार सौ रुपये) के साथ प्रत्येक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

अंक पत्रक/Tabulation Register में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित संस्कृत विद्यालय के प्रधान द्वारा अग्रसारित छात्र के आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश और अंक पत्र) की छायाप्रति संलग्न कर परिषद् कार्यालय में दिनांक 07.09.2017 तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिये किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। ध्यातव्य हो कि निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

JAC/मध्यमा/4292/14/SECY/417/17
Dt. 29.07.2017
D.O.P. 30.07.2017

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।